

आर.ई.ओ.-88



जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू प्लानर हाउस, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651313 (फैक्स नं. 265-227)

क्रमांक- प्रनि/जोविविनिलि/अनु-पीपीएम/पत्रा०आर.ई.ओ./प्रे०सं० 1140 जोधपुर, दिनांक 30.9.2004

आदेश

विषय- संशोधित कृषि कनेक्शन नीति-2004 के सम्बन्ध में।

\*\*\*

पूर्व में प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी कृषि कनेक्शन नीति 2004 आदेश संख्या एफ/2(16)/ऊर्जा/2004/16th/21st जून 2004 व संशोधित आदेश संख्या एफ/20(16)/ऊर्जा 98 दिनांक 5.7.2004 एवं संख्या एफ/12(16)/ऊर्जा/2004 दिनांक 12.7.2004 के द्वारा जारी की गई। तदनुषंगत प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश संख्या एफ/12(16)/ऊर्जा/2004 दिनांक 18.9.2004 द्वारा संशोधित कृषि कनेक्शन नीति 2004 जारी की गई है। जिसके अन्तर्गत संशोधित कृषि कनेक्शन नीति 2004 एटम् इनसे जुड़े मामलों जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

संदर्भ :- संशोधित कृषि कनेक्शन नीति-2004

(ओ.पी.मुस्ता)

अधीन अभियन्ता (पी.पी.एच.एम)  
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर